भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 399

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर पीवी मॉडयूल का निर्माण

399. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉडयून के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बावजूद चीन में निर्मित सौर उपकरणों पर निर्भरता अभी तक समाप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2024-25 के दौरान चीन से कितने सौर ऊर्जा उपकरण आयात किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'सौर पीवी मॉडयूल का निर्माण' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 399 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): दिनांक 13.08.2025 को जारी की गई सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए माडलों एवं विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची-I (एएलएमएम) के अनुसार, देश में सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 100 गीगावाट है, जो स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग): वाणिज्य विभाग के निर्यात-आयात डाटा बैंक से संबंधित वेबसाइट के अनुसार, चीन से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में आयात किए गए सौर मॉड्यूलों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

	मात्रा (लाख में)	**आयात का मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)**
सौर पीवी मॉड्यूल्स (HS Code 85414300)	352.57	1,696.77

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S)

(घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए निरंतर नीतियां ला रहा है। अन्य के साथ-साथ, किए गए विभिन्न उपाय **अनुलग्नक** में दिए गए हैं ।

अनुलग्नक

'सौर पीवी मॉडयूल का निर्माण' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 399 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्वदेशी सौर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य के साथ साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है, ताकि उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता हासिल की जा सके। इस योजना के अंतर्गत 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए आबंटन पत्र (लेटर्स ऑफ अवार्ड) जारी किए गए हैं।

(ii) **स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर)**: एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख और ग, तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वेदशी स्रोतों से सौर पीवी सेल और मॉड्यूल की खरीद करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) **सार्वजनिक खरीद में "मेक इन इंडिया" को वरीयता:** 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) अधिसूचित की थी, जिसमें अन्य के साथ-साथ उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान की गई थी जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है तथा यह अनिवार्य किया गया था कि केवल "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" ही उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने इस अनिवार्यता के साथ पात्र होंगे कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50% होनी चाहिए।

(iv) **सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों सोलर इन्वर्टरों और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)लगाना:** सरकार ने सौर पीवी सेलों, सौर पीवी मॉड्यूलों, सोलर इन्वर्टरों और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) **सीमा शुल्क रियायत समाप्त करना:** एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा-शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी करना समाप्त कर दिया है।

(vi) **सौर सेल और मॉड्यूलों के निर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट:** सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माताओं के लिए दिनांक 23.07.2024 की अधिसूचना संख्या 30/2024-सीमा शुल्क की सूची 41 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी है।

****